# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी अमीलाल यादव आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या :— 122 / 2025

कानी पत्नी अर्जुनराम जाति जाट आयु 71 वर्ष निवासीनी ग्राम सडूछोटी तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)

.........वादीनी......

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार बीदासर जिला—चूरू
2. श्रीमती कमला पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर,चूरू
3. श्री कैलाशचन्द्र पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर,चूरू
4. श्री कानाराम पुत्र बस्ताराम जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर,चूरू
5. श्रीमती चम्पा पुत्री अर्जुनराम जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर,चूरू
6. श्री नानूराम पुत्र अर्जुनराम जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर,चूरू
7. श्री पूनाराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर,चूरू
8. श्री पप्पूराम पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर,चूरू
9. श्रीमती पेमा पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर,चूरू
10. श्री प्रेमाराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर,चूरू
11. श्री भंवरलाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर,चूरू
12. श्रीमती भंवरी पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर,चूरू
13. श्रीमती मंजू पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर,चूरू
14. श्रीमती रूखमा पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसीलबीदासर,चूरू
15. श्री रूपाराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर,चूरू
16. श्री राजुराम पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर,चूरू
17. श्री रामनारायण पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर,चूरू
18. श्री श्रवणराम पुत्री अर्जुनराम जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर,चूरू
19. श्री सागरराम पुत्र अर्जुनराम जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर,चूरू
20. श्री सांवरमल पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर,चूरू
21. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा बीदासर तहसील बीदासर,चूरू
22. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कातरछोटी तहसील बीदासर,चूरू

..........प्रतिवादीगण........

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

........लगातार.......2 पर

## दावा घोषणात्मक

उपस्थितः– (1) विद्वान अधिवक्ता श्री महावीरसिंह राठौड़ वादीनी की ओर से व

(2) विद्वान अधिवक्ता श्री गोवर्धनसिंह राठौड़, प्रतिवादी सं. 4,6,7,10,15,18,19 की ओर से

(3) प्रतिवादी सं. 2,3,5,8,9,11 ता. 14,16,17,20,21,22 के विरूद्ध एक पक्षीय

(4) राजपैरोकार उपस्थित

दिनांक 30/10/25

–: निर्णयं :–

दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी के नाम से खेत खसरा संख्या 470 भूमि तादादी 12.2417 है0 वाके रोही ग्राम सडूबड़ी, खेत खसरा संख्या 253/55 भमि तादादी 1.2393 है0, खेत खसरा संख्या 257/165 भूमि तादादी 3.5789 है0, खेत खसरा संख्या 54 भूमि तादादी 3.7181 है0 वाके रोही ग्राम सडूछोटी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान मे वादीनी एंव प्रतिवादीगण सं. 2 ता 20 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी एंव के कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग मे चली आ रही है। जिसमे वादीनी का मुताबिक रिकॉर्ड 1/25 हिस्सा भूमि है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में उपरोक्त खसरे जात की भूमि की खातेदारी वादीनी कानी पत्नी अर्जुनराम जाति जाट के से राजस्व रेकॉर्ड मे खातेदारी चली आ रही है जो अशुद्ध है वादीनी कानी के पती अर्जुनराम का स्वर्गवास हुआ उस वक्त राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश वादीनी का नाम मानादेवी पत्नी अर्जुनराम दर्ज कर दिया जबकी वादीनी का शुद्ध नाम कानी पत्नी अर्जुनराम है। वादीनी के नाम से आधार कार्ड है उक्त आधार कार्ड मे वादीनी का नाम कानी पत्नी अर्जुनराम दर्ज है तथा वादीनी के पास अन्य सरकारी दस्तावेज जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, ईन्डेन गैस डायरी, बैंक पास बुक्स आदि मे वादीनी का नाम कानी पत्नी अर्जुनराम दर्ज है, जो सही व शुद्ध नाम है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे वादीनी का नाम मानादेवी पत्नी अर्जुनराम अशुद्ध होने के कारण वादीनी वर्तमान गलत राजस्व रेकॉर्ड को दुरूस्त करवाकर वादीनी अपना सही व शुद्ध नाम कानी पत्नी अर्जुनराम की घोषणा करवाने की अधिकारी है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे वादीनी का नाम मानादेवी पत्नी अर्जुराम अशुद्ध रहते हुये वादीनी सरकारी लाभ, ऋण, के.सी.सी. इत्यादि प्राप्त नही कर सकती है, इसलिये वादीनी के लिये आवश्यक हो गया है कि वो राजस्व रेकॉर्ड मे अपना नाम मानादेवी पत्नी

.....लगातार.....3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय बीदासर

कानी बनाम राजस्थान सरकार आदि

निर्णय



अर्जुनराम की जगह शुद्ध व सही नाम कानी पत्नी अर्जुनराम की घेषणा करावे अन्यथा गलत राजस्व रेकॉर्ड के रहते हुये वादीनी को अपूर्तिय क्षति होगी और वादीनी को सरकारी लाभ से वंचित होना पड़ेगा। वादीनी ने दिनांक 02/07/2025 ई. को प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि आप वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे मेरा जो गलत व अशुद्ध नाम मानादेवी पत्नी अर्जुनराम दर्ज को सही व दुरूस्त कर सही नाम कानी पत्नी अर्जुनराम दर्ज करा देंवे तो प्रतिवादी गण ने इन्कार कर दिया जिस पर वादीनी ने दावा पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन पंजीकृत डाक तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22 न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 4, 6, 7, 10, 15, 18, 19 ने न्यायालय मे इकबाल जवाब दावा पेश किया जो न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया राजपैरोकार ने अपना जवाब राज्य हित निहित नहीं होना पेश (अंकित) किया।

बहस अंतिम सुनी गयी वादानी के अधिवक्ता ने दवा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादीनी का शुद्ध व सही नाम दस्तावेजात के आधार पर कानी पत्नी अर्जुनराम है जो उक्त दस्तावेजात से साबित है, वादीनी का दावा डिक्री किया जावे। हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक सुक्षमता से अवलोकन किया तो उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से यह साबित है कि वादीनी का वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में मानादेवी पत्नी अर्जुनराम अशुद्ध नाम है, वादीनी का शुद्ध व सही नाम कानी पत्नी अर्जुनराम है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर वादीनी का सही व शुद्ध नाम कानी पत्नी अर्जुनराम नाम की घेषणा वादीनी राजस्व रेकॉर्ड में करवाने की अधिकारी है। वादी का घोषणात्मक दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादीनी का घोषणात्मक दावा अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वर्तमान खाता संख्या 193 में अंकित खेत खसरा संख्या 470 भूमि तादादी 12.2417 है0, वाके रोही ग्राम सडूबड़ी व वर्तमान खाता संख्या 70 में अंकित खेत खसरा संख्या 253/55 भूमि तादादी 1.2393 है0 , खेत खसरा सं. 257/165 भूमि तादादी 3.5789 है0, व खेत खसरा संख्या 54 भूमि तादादी 3.7181 है0 वाके रोही ग्राम सडूछोटी तहसील बीदासर जिला चूरू के राजस्व रेकॉर्ड मे वादीनी का मानादेवी पत्नी अर्जुनराम अशुद्ध नाम है, जिसे दुरूस्त कर सही व शुद्ध नाम कानी पत्नी अर्जुनराम दर्ज किये जाने का प्रतिवादी संख्या 1 आदेश्स दिया जाता है। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रेकॉर्ड़ में अमल दरामद करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 30/10/25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अमीलाल यादव)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी बीदासर

बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

सत्यमेव जयते